

यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

मिसल न0आईडी./.....

मु0नं0/दावा/103/2019

ता0रजू0:-17.07.2019

उनवान


किशोर, रामचरण पि0 मूला जाति जाट, निवासी- चिनायटा तह.हिण्डौन
जिला करौली (राज0) — वादीगण (2)

बनाम

राजाराम पुत्र रामचरण जाति जाट, निवासी चिनायटा तह0 हिण्डौन जिला
करौली — प्रतिवादीगण(8)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

17.07.2019 यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका वकील की ओर से पेश किया गया है दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2018 को पेश हों।


उपरखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

1.8.19

पत्रावली प्रस्तुत/पोस्टासन अधिकारी महोदय - मुगुप्रकाश टि.के.जी.
द्वारे पर / अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक.....17.9.19 को पेश हो।

17/9

पत्रावली पेश हुई। कलुलगाथ-करीमनगर
उपखण्ड। प्रतिवादीगण की ओर से सम्मन
तलब करने हेतु खंडादी वकील की सहित
अलवार दिशा आकर पत्रावली दि० 8-11-19
को पेश है।

8/11

पत्रावली पेश हुई। साजु-राजीव अक्कर
द्वारे के कारण पत्रावली दि० 13-11-19 को
पेश है। 5.0.0 सा० मन्त्रीय क्रम-सा० भरतपुर प्रदास है।




13/11

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपखण्ड
वादी वकील ने बताया कि वादी मांगी अक्कर
को नहीं चलेकर नीट फिसल से स्वीज करना
चाहता है।

अतः वादी के दावा बाबत स्थायी

पि०

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>निर्दिष्टा मु० न० 103/19 किशोर, रामचरण वनाम राजासम नीटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दीकर नम्बर में कम है।</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"></p>

